बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर ।)

शुक्रवार, तिथि 14 जुलाई 1978 ।

विषय-सूची ।

	पृष्ठ ।
प्रश्नों के लिखित उत्तर—बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 4 (II) के परन्तुक के अन्तर्गत सभा-मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा-मेज पर रखा जाना—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 246, 254, 256, 268, 1203, 1205, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1221, 1222, 1225, 1226, 1228, 1229, 1230, 1231, 1233, 1235, 1236, 1238, 1241, 1242, 1244, 1245, 1247, 1249, 1255, 1258, 1259, 1263, 1264, 1266, 1271, 1274, 1278, 1279, 1280, 1288, 1293 एवं 1295 ।	1—56
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
परिशिष्ट 1	57—62
परिशिष्ट 2	63—206
दैनिक निवन्ध	207-208

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपने भाषण संशोधित नहीं किए

(2) स्पीनिंग मिल, मधुवनी---इसके लिए स्थल का चयन हो चुका है। भू-अर्जन की कार्यवाही प्रगति में है और फिजीवीलीटी रिपोर्ट तैयार हो गई है।

(3) स्पीनिंग मिल, सिवान---विस्तृत फिजीवीलीटी रिपोर्ट तैयार किया जा चुका है। वित्तीय साझेदारी के रूप में मेसर्स विष्णु सुगर मिल लि०, सिवान का चयन हो चुका है। परन्तु एकरारनामा पर हस्ताक्षर के बावजूद पत्राचार अभी तक नहीं हो पाया है।

(4) स्पीनिंग मिल, जमुई---इसके लिए विस्तृत फिजीवीलीटी परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुका है। मेसर्स सोनी एन्ड कं० को वित्तीय साझेदारी के लिए चयन किया गया है। इस वित्तीय साझेदार के अपने हिस्से की पूंजी जमा नहीं करने के कारण साझेदारी का एकरारनामा समाप्त किया जा रहा है।

अनियमित नियुक्ति नहीं रोकने का औचित्य

ऐ-45। श्री कृष्णवल्लभ प्रसाद सिंह---क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि उद्योग विभाग के सूचना पदाधिकारी के पद पर अनियमित नियुक्ति को रद्द करने की गत वर्ष कार्मिक विभाग से सहमति प्राप्त हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि सूचना पदाधिकारी के पदधारक लम्बी छुट्टी पर हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो कार्मिक विभाग से सहमति प्राप्त होने के बावजूद अब तक सूचना पदाधिकारी के पद पर अनियमित नियुक्ति नहीं रद्द किये जाने का क्या औचित्य है?

प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग---(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) माह नवंबर, 1977 से छुट्टी पर हैं।

(3) कार्मिक विभाग की राय प्राप्ति के उपरान्त मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संलेख भेजा जा रहा है।

श्री महतो की कार्यमुक्ति का औचित्य

ट-38। श्री कृष्ण वल्लभ प्रसाद सिंह---क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि श्री राम श्रृंगार महतो, अनुसेवक ने भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना के अधीन वेतनमान 155--190 में निदेशालय